



2026:AHC:32420

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 15320 वर्ष 2025

विकास कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: हिमांशु मिश्रा, प्रभाकर अवस्थी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय सं.-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. हमने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री हिमांशु मिश्रा के वाद धारक श्री ए.सी. मिश्रा की सहायता से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रभाकर अवस्थी तथा राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल के तर्क सुने।

2. चूंकि दोनों पक्षों के बीच प्रति शपथपत्र एवं रिज्वाइंडर शपथपत्र का आदान-प्रदान हो चुका है एवं वे आगे कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं कर सके। अतः, दोनों पक्षों की सहमति से, रिट याचिका को नवीन स्तर पर ही निर्णित किया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा वर्ष 2023 में सिविल पुलिस में कांस्टेबल (पुरुष वर्ष महिला) के पद पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। याचिकाकर्ता सभी प्रकार से पूर्ण रूप से पात्र एवं योग्य होते हुए उक्त चयन के अनुसरण में 28.12.2023 को आवेदन पत्र जमा करके आवेदन किया। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसका चयन हो गया था एवं उसके बाद, चयन के बाद याचिकाकर्ता ने एक शपथपत्र वर्ष घोषणा भी प्रस्तुत की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 12 वर्ष 2020 एफआईआर संख्या 206 वर्ष 2020 दर्ज होने का तथ्य बताया गया है। याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया एवं उसके बाद नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि घोषणा प्रस्तुत करने के बाद, एक जांच की गई एवं प्रत्यर्थीगण ने यह रुख अपनाया कि याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 323, 452, 427, 504, 506 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 534 वर्ष 2023 एवं आईपीसी की धारा 498ए, 323, 504, 506 सपठित धारा ¼ दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 251 वर्ष 2023 के लंबित होने के सभी तथ्यों का खुलासा नहीं किया था। इसके बाद, 25.09.2025 को, गाजियाबाद स्थित पुलिस उपायुक्त ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को पहले से भुगतान की गई राशि की वसूली का निर्देश दिया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. उक्त आदेश को प्रश्नगत करते हुए, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई, जिसमें दिनांक 13.10.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए-

“याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 25 सितंबर, 2025 का विवादित आदेश मान्य नहीं है, क्योंकि यह याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना पारित किया गया है। इस संबंध में याचिका के पैरा 20 का संदर्भ दिया गया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि पेपर बुक के पृष्ठ 66 के अनुसार, मद संख्या 5 उस घोषणा से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि शपथपत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार को किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता को किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 एवं 506 के अंतर्गत एफआईआर संख्या 12 वर्ष 2020 के संबंध में अंतिम आख्या प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसकी एक प्रति पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 25 पर है एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 506, 504, 452 एवं 427 के अंतर्गत एफआईआर संख्या 534 वर्ष 2023 के संबंध में भी यही स्थिति है। कोई आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं जहां तक धारा 498-ए, 323, 504, 506 आईपीसी संपठित धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 251 वर्ष 2023 का संबंध है, याचिकाकर्ता इस मामले में पक्षकार नहीं है एवं इसे मध्यस्थता के लिए भेजा गया है।

श्री जितेंद्र प्रसाद घोषणा के संबंध में मानदंड एवं प्रस्तुत किए जाने वाले शपथपत्र के प्रारूप के बारे में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांग रहे हैं।

इस मामले को 28 अक्टूबर, 2025 को नवीन रूप में प्रस्तुत करें।”

5. इसके बाद, 13.11.2025 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया-

“1. आज जब इस मामले पर सुनवाई हुई, तो विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा ने इस न्यायालय के समक्ष पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय के दिनांक 11.11.2025 के निर्देश प्रस्तुत किए। पेपर-बुक के पृष्ठ-66 को देखने पर यह प्रतीत होता है कि केवल इस तथ्य का खुलासा करना आवश्यक है कि उम्मीदवार को दोषी ठहराया गया था या नहीं, लेकिन विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि एक अतिरिक्त शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना है जिसमें यह बताया गया हो कि कोई मामला लंबित नहीं है।”

2. प्रत्यर्थीगण द्वारा एक प्रति-शपथपत्र दाखिल किया जाए जिसमें विज्ञापन की प्रति, शपथपत्र के रूप में अपेक्षा एवं यदि अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत की जानी हो तो, उस परिपत्र को प्रस्तुत करना होगा जो इसे अधिकृत करता है।

3. इस मामले को 16.12.2025 को नवीन रूप में प्रस्तुत करें।”

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 की ओर से सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध), आयुक्त कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 28.01.2026 को शपथपूर्वक एक प्रति शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसके जवाब में रिट याचिकाकर्ता द्वारा एक प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल किया गया है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि चुनौती दिए गए आदेश को एक क्षण के लिए भी मान्य नहीं ठहराया जा सकता। उनका निवेदन है कि याचिकाकर्ता ने दस्तावेज़ सत्यापन के चरण में एक शपथपत्र प्रस्तुत किया था जिसमें आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के अंतर्गत आपराधिक मामला संख्या 12 वर्ष 2020 (एफआईआर संख्या 206 वर्ष 2020) के लंबित होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता को दो अन्य आपराधिक मामलों, आईपीसी की धारा 323, 452, 427, 504, 506 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 534 वर्ष 2023 एवं आईपीसी की धारा 498ए, 323, 504, 506 के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 / 4 के अंतर्गत मामला संख्या 251 वर्ष 2023 के लंबित होने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मात्र इस आधार पर कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध दो आपराधिक मामले दर्ज हैं एवं उनका लंबित होना तथा उनका खुलासा न होना निर्णायक नहीं हो सकता, विशेष रूप से तब जब शपथपत्र के माध्यम से मांगी गई जानकारी यह है कि याचिकाकर्ता या उम्मीदवार को विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कहना है कि अधिकारियों को खुलासे की प्रकृति एवं सीमा तथा दी गई जानकारी पर विचार करना होगा एवं यदि कोई विशेष जानकारी नहीं मांगी जा रही है, तो उस जानकारी का खुलासा न करना, जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी, दावे को खारिज करने का आधार नहीं होगा।

8. श्री एस.के. पाल, विद्वान अतिरिक्त सीएससी ने निर्देशों के आधार पर निवेदन किया कि यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा यह घोषणा की जानी चाहिए थी कि उसे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन वर्तमान तथ्यों में याचिकाकर्ता ने एक आपराधिक मामले के दर्ज होने की बात तो बताई है, लेकिन यह तथ्य नहीं बताया है कि उसके विरुद्ध दो आपराधिक मामले लंबित हैं। अतः, याचिकाकर्ता को इस संबंध में दो मामलों के लंबित होने की जानकारी देनी चाहिए थी।

9. मैंने पीठ पर की गई इस प्रकार की दलीलें सुनी हैं एवं अभिलेख का परिशीलन किया है।

10. स्पष्टतः, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2023 में कांस्टेबल के पद के लिए भर्ती अभियान के अंतर्गत आवेदन किया था। पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि याचिकाकर्ता ने शपथपत्र प्रस्तुत करते समय आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 12 वर्ष 220 एफआईआर संख्या 206 वर्ष 2020 के लंबित होने का खुलासा किया था। उम्मीदवार द्वारा दी जाने वाली घोषणा नीचे दी गई है।

"0.5 में घोषणा करता / करती हूँ की मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय के द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है। ।। डिक्लेयर दैट आई हैव नेवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ।"

11. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र पृष्ठ 68 पर है, जो इस प्रकार है:

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"2. यह कि मेरे विरुद्ध आपराधिक मुकदमा / मामला मेरी जानकारी में पंजीकृत हुआ था जिसका एफ०आई०आर० नं०-206 वर्ष 2020 अं० धारा-323,504,506 पंजीकृत थी जिसका निस्तारण हो चुका है एवं अब कोई पुलिस विवेचना (इन्वेस्टिगेशन) लम्बित नहीं एवं न ही मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।

3. कि मुझे किसी आपराधिक अभियोग में किसी सक्षम दण्डिक न्यायालय द्वारा सिद्धि दोष कनविकशन) नहीं किया गया है।

6. यह कि मुझे कभी भी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।

7. यह कि कभी आपराधिक मामले में पुलिस ने चालान नहीं किया गया है।"

12. दिनांक 25.09.2025 को सेवा समाप्ति के संबंध में चुनौती दिए गए आदेश में याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया है, जो इस प्रकार है:

"उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली-2015 एवं प्रथम संशोधन नियमावली-2017 के अनुसार पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा अध्याचित रिक्तियों के सापेक्ष घोषित चयन परिणाम के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक डीजी-चार स्था० (आरक्षी भर्ती 2023) 2025 वर्ष 1990, विनॉक 30-05-2025 के द्वारा अभ्यर्थियों को जे०टी०सी० जनपद आवंटित कर नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2-उक्त के परिपेक्ष्य में अभ्यर्थी अनुक्रमांक 2120662 विकास कुमार पुत्र विशम्भर सिंह निवासी कौलकखा राजपुर चुंगी थाना ताजगंज जनपद आगरा (पिन कोड नं० 282001) की कमिश्नर आगरा से जे०टी०सी० प्रशिक्षण हेतु पत्रावली प्राप्त हुई जिसमें अभ्यर्थी के विरुद्ध मु०अ०स० 12 वर्ष 2020 धारा 323 / 504 / 506 भादवि थाना ताजगंज कमिश्नरेट आगरा पर पंजीकृत पाये जाने के फलस्वरूप नियमानुसार जिलाधिकारी जनपद आगरा से सुस्पष्ट अभिमत / संस्तुति प्राप्त की गयी, जिसमें जिलाधिकारी आगरा द्वारा अपनी आख्या दिनांक 24.06.2025 में उक्त अभ्यर्थी विकास कुमार को आरक्षी पद पर भर्ती के लिए उपर्युक्त होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया जिसके आधार पर उक्त अभ्यर्थी को आरक्षी पर नियुक्त हेतु उपयुक्त मानते हुए इस कार्यालय द्वारा अभ्यर्थी उपरोक्त को रिक्रूट आरक्षी के पद पर दिनांक 28.06.2025 को अस्थाई रूप से कमिश्नरेट गाजियाबाद में नियुक्ति प्रदान की गयी।

3- उल्लेखनीय है कि शिल्पी राजपूत पुत्री छोटेलाल निवासी अमरपुरा बिचपुरी रोड, थाना जगदीशपुरा आगरा द्वारा दिनांक 03.06.2025 को शिकायती प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस भर्ती आयोग महोदय, लखनऊ उ०प्र० को प्रेषित किया गया, जिसमें उक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध थाना जगदीशपुरा आगरा पर मु०अ०स० 251 वर्ष 2023 धारा 498ए, 323,504,506 भादवि व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधि० पंजीकृत होने तथा अभ्यर्थी द्वारा अपने शपथ पत्र में उक्त अभियोग को छुपाये जाने के सम्बन्ध में अंकित किया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गया। जिसके बाद उक्त शिकायती प्रार्थना के सम्बन्ध में जांच श्री आनन्द कुमार पाण्डेय, अपर पुलिस उपायुक्त सहायक पुलिस आयुक्त, कार्यालय, आगरा द्वारा की गयी तो उनके द्वारा अपनी जांच आख्या में पाया कि अभ्यर्थी विकास उपरोक्त के विरुद्ध थाना ताजगंज कमि० आगरा पर मु०अ०सं० 12 / 2020 धारा 323,504,506 भादशि एवं मु०अ०सं० 534 / 2023 धारा 323 / 452 / 427 / 504 / 506 भादवि, जिसमें अभ्यर्थी विकास उपरोक्त की नामजदगी गलत पाये जाने पर विवेचना से नाम पृथक किया गया है एवं थाना जगदीशपुरा आगरा पर मु०अ०सं० 251 / 2023 धारा 498ए, 323,504,506 भादवि व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधि० पंजीकृत है, जिसमें विकास उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 11.07.2023 को आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जो कि माननीय न्यायालय आगरा में विचाराधीन है, किन्तु अभ्यर्थी विकास द्वारा दिये गये शपथ पत्र में मात्र मु०अ०सं० 12 / 2020 उपरोक्त का ही उल्लेख किया गया एवं अन्य दो अभियोगों का उल्लेख स्वयं द्वारा दिये गये शपथ में उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार चयनित अभ्यर्थी विकास कुमार द्वारा अन्य अभियोगों को जानबूझकर छिपाया गया है, जिसके लिये यह दोषी है। उक्त अभ्यर्थी द्वारा दिये गये शपथ पत्र के बिन्दु संख्या: 14 में अंकित है कि यदि शपथ पत्र में अंकित तथ्य भविष्य में कभी भी गलत पाये जाते हैं तो मुझे पुलिस आरक्षी के कार्स/ सेवा से तुरन्त पृथक कर दिया जाये एवं मेरे विरुद्ध आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अमल में लायी जाये।

4- पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या 10-393/2002 (8) दिनांक 30.06.2025, आदेश संख्या 4694/1-8-32-1947 दिनांक 29-04-1958 एवं विशेष अनुमति याचिका संख्या 20525/2011 अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21-07-2016 को पारित आदेश में कहा गया है कि:-

"यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत हुए हैं, अथवा ऐसे पंजीकृत मामले विवेचना से उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित होकर विचाराधीन न्यायालय है या किसी अपराधिक मामले में धारा-168 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत रिहा हुए हैं या भारत सरकार / राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उद्यम व संस्थान से सेवा से विमुक्त किये गये हैं अथवा नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुए हैं या छिपाया गया है अथवा गुमराह किया गया है तो ऐसा करने के लिए अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं उसका अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जायेगा, जिस पर अभ्यर्थी का कोई दावा नहीं होगा।"

5-अतः अभ्यर्थी अनुक्रमांक-2120662 विकास कुमार पुत्र विशम्भर सिंह निवासी कौलक्या, राजपुर चुंगी थाना ताजगंज जनपद आगरा (पिन कोड नं० 282001) द्वारा स्वयं के विरुद्ध थाना ताजगंज कमि० आगरा पर मु०अ०सं० 534 / 2023 धारा 323 / 452 / 427 / 504 / 506 भादवि एवं थाना जगदीशपुरा आगरा पर मु०अ०सं० 251 / 2023 थाना 498ए, 323, 504, 506 भादवि व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधि० पंजीकृत होने के बावजूद भी दिये गये शपथ पत्र में मात्र मु०अ०सं० 12 / 2020 उपरोक्त का ही उल्लेख किया गया, शेष दो अभियोगों को शपथ पत्र में जानबूझकर छिपाया गया एवं गुमराह किया गया, जिसके कारण श्री आनन्द कुमार पाण्डेय, अपर पुलिस उपायुक्त सहायक पुलिस आयुक्त, कार्यालय, आगरा द्वारा की गयी जांच व शासनादेश संख्या: 4694 / 11-बी-32-1947 दिनांक 29-04-1958 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या: 20525 / 2011 अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



21-07-2018 को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निहित व्यवस्थानुसार अभ्यर्थी अनुक्रमांक 2120662 विकास कुमार पुत्र विशम्भर सिंह निवासी कौलकखा, राजपुर चुंगी थाना ताजगंज जनपद आगरा (पिन कोड नं० 282001) का चयन अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है. साथ ही अन्यथी विकास कुमार उपरोक्त पुलिस अधीक्षक, स्थापना, उ०प्र० लखनऊ के पत्रसंख्या प्रशिक्षण (त्याग पत्र कटौती)-2025 दिनांक 29.08.2025 के कम में भर्ती दिनांक से आज दिनांक तक वेतन बर्दी भत्ता की धनराशि रुपये 74,572/- व 90 दिन के प्रशिक्षण पर व्यय प्राप्त धनराशि रुपये 77,670/- फूल धनराशि रुपये 1,52,242 राजकीय कोष पुलिस कार्यालय गाजियाबाद में जमा करें, प्रतिसार निरीक्षक उपत धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही करें।"

13. चुनौती दिए गए आदेश को सरसरी तौर पर देखने से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करते समय प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने में इस तथ्य को आधार बनाया कि याचिकाकर्ता ने दो आपराधिक मामलों, धारा 323, 452, 427, 504, 506 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 534 वर्ष 2023 एवं धारा 498ए, 323, 504, 506 आईपीसी के साथ धारा 3 / 4 डी. पी. एक्ट के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 251 वर्ष 2023, के लंबित होने की जानकारी नहीं दी है। घोषणापत्र में ही यह स्पष्ट है कि उम्मीदवार को यह जानकारी देनी होती है कि क्या उसे विधिवत स्थापित न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। जब पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं से यह स्पष्ट रूप से पूछा गया कि क्या याचिकाकर्ता उन दो मामलों में दोषी ठहराया गया है जिनका खुलासा नहीं किया गया है, तो उत्तर यह है कि केवल आपराधिक मामले ही लंबित हैं। पेपर बुक के पृष्ठ 68 से पता चलता है कि एक शपथपत्र याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने शपथपत्र के पैरा 3 में धारा 323, 504, 506 के अंतर्गत एफआईआर संख्या 206 वर्ष 2020 दर्ज किए जाने का खुलासा किया है, जिसमें अंतिस आख्या प्रस्तुत की गई एवं न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करते हुए स्वीकार कर ली गई। इसके अलावा, धारा 452, 323, 504, 506, 427 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 534 के संबंध में, पैरा 5 में यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया था एवं धारा 498ए, 294, 323, 504, 506 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 251 वर्ष 2023 के संबंध में, मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। चूंकि यह एक वैवाहिक विवाद था एवं याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं की गई थी। दरअसल, अवतार सिंह बनाम भारत संघ: (2016) 8 एससीसी 471 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गैर-खुलासे के महत्व, प्रभाव एवं परिणाम के संबंध में इस विषय पर विधि का सारांश प्रस्तुत किया था। उक्त प्रयास पूरी तरह से अप्राप्त है।

14. हाल ही में पवन कुमार बनाम भारत संघ: 2026 आईएनएससी 156 में, जिसका अनुसरण रविंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य: (2024) 5 एससीसी 264 में किया गया, दिनांक 21.05.1958 के साशनादेश पर विचार किया गया, जिसके अनुसार मात्र दोषसिद्धि स्वतः ही पद से हटाने का आधार नहीं होगी, क्योंकि नियुक्ति प्राधिकारी को इस संबंध में गैर-खुलासे के महत्व, प्रभाव एवं परिणाम को ध्यान में रखते हुए मामले के उक्त पहलू पर विचार करना होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



15. इसके अतिरिक्त, मामले का एक और पहलू जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, वह यह है कि विवादित आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने 24.06.2025 को चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया है। चूंकि मामले के उपरोक्त पहलू पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए न्यायालय की राय में, मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

16. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है-

(क) गाजियाबाद मुख्यालय स्थित पुलिस उपायुक्त द्वारा दिनांक 25.09.2025 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है;

(ख) मामला नवीन आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है;

(ग) आज के आदेश को पारित करने का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि याचिकाकर्ता को नियुक्त एवं बहाल किए जाने की स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति / बहाली पुनर्विचार के बाद पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगी।

17. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निष्तारण किया जाता है।

18. यह कहना अनावश्यक है कि प्राधिकारी को इस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना होगा कि याचिकाकर्ता से क्या जानकारी मांगी गई थी एवं उसने क्या जानकारी दी है। यह पूरी प्रक्रिया आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर संपन्न की जानी है।

12 फरवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"